

उपरोक्त साक्षरता का होना  
वादी का काद अंतिम रूप से डिप्टी  
किया जाता है। पत्तावली का निस्तारण  
राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना  
से किया गया। निर्णय हथक से लिखा  
गया। पत्तावली फंसल शुभार लेकर  
काश्मिल दफ्तर हो

उपखण्ड अधिकारी  
राजाखेड़ा (धौलपुर)

सदस्य  
राष्ट्रीय लोक अदालत

अधीक्षक  
राष्ट्रीय लोक अदालत